कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

::अध्यापक–अभिभावक परिषद (PTA)की दिनांक 15.02.18 को आयोज्य बैठक हेतु दिशा–निर्देश::

शिविरा पंचांग : 2017–18 के अनुसार दिनांक : 15.02.2018 को अध्यापक–अभिभावक परिषद् की चतुर्थ बैठक आयोज्य है। उक्त दिवस को अमावस्या तिथि के अनुरूप विभाग द्वारा प्रदत्त स्थायी निर्देशानुसार SDMC एवं SMC की कार्यकारिणी समिति की बैठक भी पूर्व निर्धारित है। सत्र : 2017–18 में अध्यापक – अभिभावक परिषद् की प्रथम बैठक (I PTM) दिनांक : 05.05.2017, द्वितीय बैठक (II PTM) दिनांक : 20.09.2017, तृतीय बैठक (III PTM) दिनांक : 18.11.2017 को आयोजित की जा चुकी है। उक्त क्रम में सत्र : 2017–18 हेतु अध्यापक–अभिभावक परिषद की चतुर्थ बैठक (IV PTM) का आयोजन SDMC/SMC की कार्यकारिणी समिति की बैठक के साथ संयुक्त रूप से दिनांक 15.02.2018 को विद्यालय समयारम्भ (प्रातः9.30) से अग्रांकित निर्देशानुरूप किया जावे :–

➢ पूर्व तैयारी एवं दायित्व :–

अध्यापक–अभिभावक परिषद की बैठक तभी सार्थक होगी, जब उक्त परिषद के सभी घटक अग्रांकित विवरणानुसार निर्देशित दायित्वों का समुचित निर्वहन करेंगे।

1. संस्था प्रधान एवं शिक्षक गण :–

- बैठक की निर्धारित तिथि से एक सप्ताह पूर्व अभिभावकों को निमन्त्रण पत्र भेजे जाने की कार्यवाही प्रारम्भ करना।
- समस्त विषयाध्यापक एवं कक्षाध्यापक उक्त बैठक के दौरान वार्षिक परीक्षा से पूर्व विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति पर अभिभावकों के साथ पारस्परिक विमर्श की समुचित तैयारी के दृष्टिकोण से इस सत्र में आयोजित तीनों परखों एवं अर्द्धवार्षिक परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर प्रत्येक विद्यार्थी की समग्र शैक्षिक स्थिति का मूल्यांकन बैठक से पूर्व आवश्यक रूप से तैयार करके रखेंगे।
- **SDMC/SMC** सदस्यों को समस्त अभिभावकों को बैठक में सम्मिलित होने हेतु घर–घर जाकर सूचित/निमंत्रित करने हेतु प्रेरित करना।
- विद्यालय भवन/परिसर के बाहर की तरफ बैठक सूचना सम्बन्धी पोस्टर चिपकाना तथा स्थानीय क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों (मन्दिर/मस्जिद, बस स्टैण्ड, बाजार, सामुदायिक केन्द्र आदि) पर भी पोस्टर चिपकाने एवं सम्भव होने पर सार्वजनिक घोषणा की कार्यवाही प्रारम्भ करना।
- बैठक दिवस को अभिभावकों के लिए समुचित बैठक व्यवस्था एवं पेयजल की आवश्यकतानुसार उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक प्रबन्ध करना।
- स्कूल डायरी/एस.एम.एस./व्हाट्स–एप/पत्र द्वारा अभिभावकों को बैठक हेतु स्मरण पत्र भिजवाना।
- विद्यालय स्टाफ के साथ पूर्व तैयारी बैठक कर संयुक्त बैठक के दौरान अभिभावकों के साथ सम्मानजनक एवं सहयोगपूर्ण व्यवहार हेतु आवश्यक निर्देश तथा सुझाव देते हुए अभिभावकों/आमंत्रित अतिथियों के उचित सत्कार की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- बैठक के आगामी दिवस को शाला दर्पण पर बैठक में उपस्थित अभिभावकों का उपस्थिति विवरण दर्ज करना।
- बैठक में अनुपस्थित अभिभावकों को आगामी बैठक में भाग लेने हेतु सूचना/स्मरण पत्र प्रेषित करना।
- इस सत्र में अध्यापक–अभिभावक परिषद की तीनों बैठकों में भागीदारी करने वाले अभिभावकों को आभार ज्ञापित करना।

www.rajteachers.com

2. <u>जिला शिक्षा अधिकारी एवं मण्डल उप निदेशक</u> :–

- बैठक के एक सप्ताह पूर्व से क्षेत्राधिकार के विद्यालयों द्वारा बैठक में भागीदारी हेतु निमंत्रण पत्र भेजे जाने की कार्यवाही का समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन करना।
- जिला कलक्टर एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समुचित समन्वय एवं सम्पर्क कायम करते हुए बैठक के विस्तृत प्रचार–प्रसार की कार्यवाही सुनिश्चित करना एवं बैठक की सार्थक सफलता हेतु स्थानीय प्रशासन तंत्र का उचित एवं आवश्यक सहयोग प्राप्त करने तथा जिला/उपखण्ड स्तरीय अधिकारियों द्वारा बैठक दिवस को विद्यालयों में बैठक अवलोकन हेतु उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए अवलोकनोपरान्त रिपोर्ट निर्धारित ऑनलाईन प्रपत्र में तत्दिवस ऑनलाईन फीडिंग लिंक : http://:tinyurl.com/PTA-Monitoring-Form पर अपलोड किये जाने हेतु आग्रह करना। उक्तानुरूप जिले में कार्यरत अधिकारियों के विद्यालय अवलोकन हेतु आवश्यकतानुसार व्यवस्थाएं भी जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर की जानी है।
- जिला स्तर पर व्हाट्स–एप ग्रुप/एस.एम.एस./इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों/प्रिन्ट मीडिया का यथोचित उपयोग बैठक के प्रचार–प्रसार एवं अभिभावकों की अधिकाधिक भागीदारी हेतु सुनिश्चित करना।
- क्षेत्राधिकार के समस्त विद्यालयों में बैठक दिवस को बैठक व्यवस्था एवं पेयजल तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने हेतु संस्था प्रधानों को आवश्यकतानुसार सम्बलन एवं मार्गदर्शन प्रदान करना।
- जिला शिक्षा अधिकारी एवं मण्डल कार्यालय में पदस्थापित समस्त अधिकारियों द्वारा बैठक दिवस को क्षेत्राधिकार में विद्यालयों का बैठक अवलोकन हेतु भ्रमण कार्यक्रम निर्मित कर निर्धारित अवलोकन प्रपत्र में तत्दिवस ऑन लाईन फीडिंग (लिंक http://:tinyurl.com/PTA-Monitoring-Form) सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित करना।
- बैठक दिवस के तत्काल पश्चात् बैठक में अभिभावक उपस्थिति विवरण क्षेत्राधिकार के समस्त विद्यालयों द्वारा शाला दर्पण पर अंकित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करना।

3. <u>अध्यापक–अभिभावक परिषद एवं SDMC/SMC की कार्यकारिणी समिति की संयुक्त बैठक की रूपरेखा</u>

क्र0सं0	करणीय कार्यवाही	निर्धारित समयावधि
(i)	<u>प्रार्थना–सभा में भागीदारी</u> :– • विद्यालय की प्रार्थना सभा में अभिभावकों को सम्मिलित किया जावे। • एक दो सांस्कृतिक प्रस्तुतियां बालक–बालिकाओं द्वारा दी जाए। इसका उद्देश्य बालक–बालिकाओं को प्रोत्साहन प्रदान करना हो।	प्रार्थना सभा – 25 मिनट
(ii)	<u>पारस्परिक सम्वाद</u> :– • विभाग द्वारा कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षा परिणाम उन्नयन हेतु निर्मित अभिनव कार्य योजना "प्रयास–2018" में प्रदत्त निर्देशानुरूप उक्त कार्ययोजना बाबत विस्तृत जानकारी कक्षा–10 में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों के अभिभावकों को प्रदान की जाएगी तथा बोर्ड परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व तक समस्त प्रविष्ट होने वाले विद्यार्थियों की विद्यालय में शत–प्रतिशत उपस्थिति हेतु अभिभावकों को प्रेरित किया जाएगा। • "प्रयास–2018" के तहत विभाग द्वारा विद्यार्थियों हेतु निर्मित उपयोगी अध्ययन सामग्री का अधिकाधिक उपयोग किये जाने के लिए विद्यार्थियों	01 घण्टा

www.rajteachers.com

	एवं उनके अभिभावकों के साथ सम्बन्धित कक्षाध्यापक, संस्था प्रधान एवं विषयाध्यापक द्वारा पारस्परिक सम्वाद के दौरान विस्तृत चर्चा की जाएगी। • "प्रयास–2018" के तहत विद्यालय द्वारा आयोज्य प्री–बोर्ड परीक्षा में भाग लेने एवं उक्त परीक्षा में प्रदर्शन के मूल्यांकन के पश्चात् विषयवार काठिन्य (Weak Points) के आधार पर बोर्ड परीक्षा तैयारी अवकाश के दौरान सुपरवाइज्ड स्टडी (सम्बन्धित विषयाध्यापक द्वारा सम्मुख बैठा कर) हेतु विद्यार्थियों की विद्यालय में शत–प्रतिशत उपस्थिति हेतु अभिभावकों के साथ समुचित सम्वाद द्वारा प्रेरित किया जाएगा।	
(iii)	<u>**विद्यार्थियों की शैक्षिक लब्धि पर विचार–विमर्श**</u> :– प्रार्थना सभा एवं पारस्परिक सम्वाद कार्यक्रम के उपरान्त समस्त विषयाध्यापक एवं कक्षाध्यापक वार्षिक परीक्षा से पूर्व अब तक प्रथम, द्वितीय, तृतीय परख एवं अर्द्ध वार्षिक परीक्षा में विद्यार्थियों के प्रदर्शन के आधार पर उनकी शैक्षिक प्रगति पर अभिभावकों के साथ विस्तृत विमर्श करेंगे। तीनों परखों एवं अर्द्धवार्षिक परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर प्रत्येक विद्यार्थी की समग्र शैक्षिक स्थिति के मूल्यांकन से समस्त अभिभावकों को अवगत करवाया जाना है। इस हेतु कक्षाध्यापकों द्वारा समन्वय करते हुए विद्यार्थियों की शैक्षिक लब्धि, विद्यालय में ठहराव/उपस्थिति एवं विषयवार प्रदर्शन के आधार पर आवश्यकतानुसार विषयाध्यापकों/कक्षाध्यापक एवं अभिभावकों का पारस्परिक सम्वाद स्थापित किया जाएगा। उक्त सम्वाद में कमजोर शैक्षिक लब्धि वाले विद्यार्थियों के अधिगम स्तर उन्नयन हेतु ध्यान दिए जाने योग्य बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा की जायेगी, जिससे कि वार्षिक परीक्षा में समस्त विद्यार्थियों के सम्बन्ध में वांछित शैक्षिक लब्धि का लक्ष्य अर्जित किया जा सके।	02 घण्टे
(iv)	<u>**अध्यापक–अभिभावक परिषद एवं SDMC/SMC की कार्यकारिणी समिति की संयुक्त बैठक का आयोजन –**</u> विद्यार्थियों की शैक्षिक लब्धियों के सम्बन्ध में विषयाध्यापक/कक्षाध्यापक के अभिभावकों के साथ पारस्परिक सम्वाद कार्यक्रम के समान्तर SDMC/SMC की कार्यकारिणी समिति की बैठक का आयोजन भी आवश्यकतानुसार समय प्रबन्धन करते हुए किया जाना है, जिसमें पूर्व प्रदत्त निर्देशानुरूप विद्यालय की स्थानीय आवश्यकता के मुद्दों पर विचार–विमर्श एवं करणीय कार्यों के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित करने के साथ–साथ निम्नांकित बिन्दुओं पर चर्चा का समावेशन भी विद्यालय की आवश्यकतानुरूप किया जाए :– • विद्यालय के शैक्षिक एवं भौतिक विकास को निरन्तरता प्रदान करने हेतु स्थानीय समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए समस्त राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विभागीय परिपत्र दिनांक: 17.04.2017 के निर्देशानुरूप "विद्यालयी पूर्व विद्यार्थी मंच" का गठन किया जाकर मंच के माध्यम से प्रतिवर्ष "सखा संगम" कार्यक्रम का आयोजन किए जाने बाबत स्थाई निर्देश प्रदत्त हैं। जिन विद्यालयों में अब तक उक्त मंच का गठन नहीं किया गया है, उनके द्वारा आवश्यक रूप से इस बैठक के दौरान "विद्यालयी पूर्व विद्यार्थी मंच" का गठन किया जाएगा तथा बैठक के आगामी दिवस को इसकी सूचना सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रेषित की जाएगी। समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा उक्त बाबत् पत्रावली कार्यालय में	आवश्यकतानुसार समय प्रबन्धन करते हुए ।

	संधारित की जाकर क्षेत्राधिकार के समस्त विद्यालयों में गठित मंच की सूचना उक्त पत्रावली में आवश्यक रूप से अद्यतन की जाएगी। भविष्य में उक्त सूचना का अंकन ''शाला दर्पण पोर्टल'' पर किया जाएगा। • जिन विद्यालयों द्वारा सत्र : 2017–18 में "सखा संगम" कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया है, उनके द्वारा इस बैठक में दिनांक : 30 अप्रैल – 2018 से पूर्व उक्त कार्यक्रम हेतु तिथि निर्धारण कर इसकी सूचना जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवश्यक रूप से दिनांक : 20.02.2018 तक प्रेषित की जाएगी, जिसका संकलन जि.शि.अ. कार्यालय द्वारा "विद्यालयी पूर्व विद्यार्थी मंच" से सम्बन्धित पत्रावली में किया जाएगा। भविष्य में "सखा संगम" कार्यक्रम के आयोजन से सम्बधित विवरण ''शाला दर्पण पोर्टल'' पर आवश्यक रूप से दर्ज किये जाने की व्यवस्था अमल में लाई जाएगी।	
(v)	**संस्था प्रधान का उद्बोधन–** • विद्यार्थियों एवं शिक्षकों द्वारा प्रदर्शित शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक उपलब्धियां। • विद्यालय के गत वर्ष के बोर्ड परीक्षा परिणाम के सम्बन्ध में अभिभावकों को अवगत करवाते हुए उसके आधार पर विद्यालय को प्राप्त स्टार रैंकिंग की जानकारी प्रदान करना। • विद्यालय विकास योजना (S.D.P.) के समुचित क्रियान्वयन की जानकारी। • विद्यार्थियों की विद्यालय में नियमित उपस्थिति, गृहकार्य एवं नियमित अध्ययन में अभिभावकों के सहयोग के सम्बन्ध में जागरूकता का संदेश देना। • विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता बाबत् दायित्वों का उल्लेख करना।	30 मिनट
(vi)	**PTM हेतु विशिष्ट विचारणीय बिन्दु :–** I. राज्य में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका शिक्षा की स्थिति अपेक्षित स्तर से न्यून होने के सम्बन्ध में अभिभावकों एवं स्थानीय जनसमुदाय के अगुआ प्रतिनिधियों से विस्तृत विमर्श पश्चात् विद्यालय परिक्षेत्र की समस्त बालिकाएं, जो नियमित विद्यालय शिक्षण से वंचित है, उनका आगामी सत्र में विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित् किए जाने हेतु सम्बन्धित अभिभावकों को प्रेरित करते हुए दायित्वबद्ध करना। II. परम्परावादी सामाजिक सोच के चलते समाज में व्याप्त लैंगिक विभेद एवं असमानता की विषम स्थितियों पर नियन्त्रण एवं बालिकाओं को शिक्षा, संस्कृति, खेलकूद, रोजगार इत्यादि क्षेत्रों में समान अवसर एवं सुविधाएं मुहैया करवाने हेतु अभिभावकों एवं स्थानीय जनसमुदाय को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं के प्रेरक प्रसंगों का उल्लेख करते हुए समाज में लैंगिक समानता एवं बालिका शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं मानसिकता उत्पन्न करने हेतु सार्थक प्रयास।	आवश्यकतानुसार

4. **अध्यापक–अभिभावक परिषद की बैठक के पश्चात विद्यालय द्वारा करणीय कार्यवाही :–**

- बैठक में उपस्थित अभिभावकों का संस्था प्रधान द्वारा उसी दिवस को नियत प्रारूप–1(संलग्न परिशिष्ट–1) में हस्ताक्षर करवाकर अभिलेखों में अंकन करवाना।
- बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अभिभावकों को संस्था प्रधान द्वारा उसी दिवस को नियत प्रारूप–2(संलग्न परिशिष्ट–2) में पत्र जारी कर इस हेतु सूचित किया जाएगा एवं आगामी कार्य दिवस

www.rajteachers.com

को विद्यालय में उपस्थित होकर विद्यार्थी की शैक्षिक लब्धियों के सम्बन्ध में अवगति प्राप्त करने तथा आगामी बैठक में भाग लेने हेतु आग्रह किया जाएगा।

- बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अभिभावकों का विवरण संस्था प्रधान द्वारा नियत प्रारूप–3 (संलग्न परिशिष्ट–3) में संधारित किया जाएगा।

बैठक में अभिभावकों की उपस्थिति का विवरण बैठक दिवस के आगामी कार्य दिवस तक आवश्यक रूप से शाला दर्पण में अपलोड किया जाएगा। इस हेतु विद्यालय के शाला दर्पण को लॉग–इन करते ही "POP-UP" WINDOW प्रदर्शित होगी, जिसमें PTM से समबन्धित वांछित सूचनाएं फीड कर Save करें।

संलग्न : परिशिष्ट–1, 2 एवं 3

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–माध्य/मा–स/22241/PTM/2017–18/174 दिनांकः 09/02/18

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. आयुक्त, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. समस्त जिला कलक्टर को प्रेषित कर निवेदन है कि जिला/उपखण्ड स्तरीय अधिकारियों को जिले के विद्यालयों में दिनांक : 15.02.2018 को आयोजित होने वाली अध्यापक–अभिभावक परिषद् की बैठक (PTM) में भागीदारी निभाने एवं मोनिटरिंग प्रपत्र की ऑनलाईन फीडिंग हेतु निर्देशित करने का श्रम करें।
6. अतिरिक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ।
7. समस्त मण्डल उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को प्रेषित कर लेख है कि परिक्षेत्र के समस्त विद्यालयों में अध्यापक–अभिभावक परिषद की बैठक प्रदत्त दिशा–निर्देशों के अनुरूप आयोजित किए जाने हेतु अधीनस्थ जिला कार्यालयों का समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन सुनिश्चित करते हुए स्वयं तथा कार्यालय के अधीनस्थ शिक्षाधिकारियों द्वारा उक्त बैठकों में भाग लेकर पूर्वोल्लेखित मोनिटरिंग फार्म की ऑनलाईन पूर्ति(लिंक http://:tinyurl.com/PTA-Monitoring-Form) करना व करवाया जाना सुनिश्चित करें।
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय को प्रेषित कर लेख है कि उपर्युक्त निर्देशों की क्रियान्विति क्षेत्राधिकार में सर्वोच्च प्राथमिकता से किया जाना सुनिश्चित करें।
9. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड एवं समस्त राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के ई–मेल पते पर प्रेषित करने हेतु।
10. समस्त ग्रुप/अनुभाग अधिकारी, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि दिनांक : 15.02.2018 को मुख्यालय से सम्बन्धित जिला परिक्षेत्र में किसी राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित होने वाली अध्यापक–अभिभावक परिषद् की बैठक (PTM) में सम्मिलित होकर पूर्वोल्लेखित मोनिटरिंग फार्म की ऑनलाईन पूर्ति '(लिंक : http://:tinyurl.com/PTA-Monitoring-Form) करते हुए अपलोड करना सुनिश्चित करें।
11. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
12. सहायक निदेशक, शाला दर्पण,कार्यालय हाजा।
13. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

प्रारूप – 1

बैठक में उपस्थित रहने वाले अभिभावकों के विवरण का प्रारूप

अध्यापक–अभिभावक परिषदः राजकीय ....विद्यालय, ...

आदरणीय /आदरणीया ....

शुभाभिवादन!

विद्यालय में दिनांक 20.09.2017 को आयोजित अध्यापक–अभिभावक परिषद की बैठक में आपकी उपस्थिति हेतु परिषद आपका आभार ज्ञापित करती है:–

क्र.सं.	विद्यार्थियों के नाम, जिनके एक अथवा दोनों अभिभावकों ने बैठक में भाग लिया	नाम अभिभावक	हस्ताक्षर
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

धन्यवाद!

संस्थाप्रधान के हस्ताक्षर

मय मुहर

www.rajteachers.com

कार्यालय का पता :– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,बीकानेर ☎0151–2544043
Email : ad.secondary.dse@rajasthan.gov.in

प्रारूप – 2

बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अभिभावकों को प्रेषणीय पत्र का प्रारूप

अध्यापक–अभिभावक परिषदः राजकीय ....विद्यालय, ...

आदरणीय / आदरणीया..................

शुभाभिवादन!

विद्यालय में दिनांक 15.02.2018 को आयोजित अध्यापक– अभिभावक परिषद की बैठक में सादर उपस्थिति हेतु आपसे आग्रह किया गया था। आप के अनुपस्थित रहने से महत्वपूर्ण विमर्श में आपकी भागीदारी नहीं हो सकी और न ही आपके पुत्र / पुत्री.................. (विद्यार्थी का नाम), कक्षा.......... वर्ग....... .... की शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक प्रगति / आवश्यकताओं से सम्बन्धित अवगति दी जा सकी। अतः आपसे आग्रह है कि आगामी कार्य दिवस को विद्यालय में उपस्थित होकर विद्यार्थी की प्रगति एवं बैठक के विमर्श के निर्णयों एवं सुझावों की अवगति प्राप्त करले ।

आपसे यह भी अनुरोध है कि अध्यापक–अभिभावक परिषद की आगामी बैठक में अपने पुत्र / पुत्री की की शैक्षिक लब्धि एवं विद्यालय से सम्बन्धित अन्य आवश्यक एवं महत्वपूर्ण जानकारियों की अवगति प्राप्त करने हेतु अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज करावें।

धन्यवाद!

संस्थाप्रधान के हस्ताक्षर

मय मुहर

www.rajteachers.com

<u>परिशिष्ट–3</u>

प्रारूप–3

–:अध्यापक अभिभावक परिषद की बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अभिभावकों का विवरण:–

क्र.सं.	विद्यार्थियों के नाम, जिनके अभिभावकों ने बैठक दिनांक: 15.02.2018 में भाग नहीं लिया	संस्था प्रधान द्वारा अनुपस्थित रहने वाले अभिभावकों को प्रेषित पत्र की दिनांक
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

संस्थाप्रधान के हस्ताक्षर

मय मुहर

www.rajteachers.com